

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर**  
क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी/जोन-जयपुर/एफ.17618/2024/613 दिनांक : 27/5/24

**आदेश**

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कार्मिकों को राज्य सेवा में 09 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर उनके नामों के सम्मुख अंकितानुसार प्रथम एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

| क्र. स. | कर्मचारी का नाम व पद                  | पदस्थापन स्थान       | प्र0नि0 तिथि | पूर्ण सेवावधि | एसीपी स्वीकृति तिथि | पे मेट्रिक्स लेवल |
|---------|---------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 1.      | श्री आमिर खान, कनिष्ठ सहायक           | सीएचसी गुंगारा, सीकर | 21.12.2012   | 09 वर्ष       | 21.12.2021          | लेवल-8            |
| 2.      | श्री रुपेन्द्र त्रिपाठी, कनिष्ठ सहायक | सीएचसी बगरू, जयपुर   | 05.03.2014   | 09 वर्ष       | 05.03.2023          | लेवल-8            |

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राज. जयपुर

दिनांक : 27/5/24

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी/जोन-जयपुर/एफ.17618/2024/613  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1.संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन-जयपुर।
- 2.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर/सीकर।
- 3.चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी, गुंगारा, सीकर/बगरू, जयपुर-द्वितीय।
- 4.प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- 5.संबंधित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 6.आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राज. जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref  
6959182



Digitally signed by Rakesh Kumar  
Sharma  
Designation : Director  
Date: 2024.05.27 10:17:24 IST  
Reason: Approved